राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/ 5936 दिनांक : 12/12/19

आदेश

1. पंचायतीराज संस्थाओं के समस्त निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K (Article 243K) के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है;

2. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 7178/2002 संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्मस् और अन्य में पारित आदेश दि. 2 मई, 2002 एवं रिट याचिका सं. 490/2002, 509/2002 और 515/2002 में पारित निर्णय दिनांक 13 मार्च, 2003 की अनुपालना में भारत निर्वाचन आयोग, ने संसद या राज्य विधानसभा का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी से उसके नामनिर्देशन पत्र के आवश्यक भाग के रूप में **शपथित शपथ–पत्र** के माध्यम से कतिपय सूचना मांगने के लिए निदिष्ट किया गया।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त दोनों निर्णय संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में **मतदाताओं को सूचना का अधिकार** सुनिश्चित करने के संदर्भ में दिये गये थे। राज्य निर्वाचन आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णयों को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचनों में भी लागू किये जाने का निर्णय लिया है।

4. राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243K (Article 243K) तथा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 2009 की धारा 17 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित निदेश देता है कि:–

   (i) **जिला परिषद/पंचायत समिति, के सदस्य** का निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी एक शपथ पत्र इस आदेश के **उपाबंध I-A** में तथा **सरपंच पद** के पद के निर्वाचन में **उपाबंध I-B** में दिये गये प्ररूप में 50/– रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non Judicial stamp paper) पर नामनिर्देशन–पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा।

   (ii) उक्त शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटरी पब्लिक के **समक्ष सम्यक् रूप से शपथित होना चाहिए।**

   (iii) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शपथपत्र का न दिया जाना इस आदेश का अतिक्रमण माना जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी का नामनिर्देशन पत्र रिटर्निंग आफिसर द्वारा संवीक्षा करते समय नामंजूर करने योग्य होगा।

   (iv) शपथ पत्र में कोई कॉलम खाली नहीं छोडा जाये। यदि किसी मद (item) के संबंध में कोई सूचना नहीं है तो, "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए। शपथ पत्र के कालम खाली पाये जाने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मीमो (स्मरण पत्र) जारी किया जायेगा इसके बाद भी अभ्यर्थी द्वारा कमी पूर्ति नहीं की जाती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (civil) No. 121/2008 Resurgence India vs. Election Commission of India & Anr. में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2013 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी का नामनिर्देशन पत्र रिटर्निंग आफिसर द्वारा संवीक्षा करते समय नामंजूर करने योग्य होगा।

   (v) प्रत्येक अभ्यर्थी के शपथपत्र की फोटो प्रति रिटर्निंग आफिसर द्वारा अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी और उसकी प्रतियां अन्य समस्त अभ्यर्थियों एवं प्रिण्ट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को माँगे जाने पर नियमानुसार उपलब्ध कराई जावेगी।

(vi) यदि कोई अन्य अभ्यर्थी पैरा (i) में उल्लिखित पदों के निर्वाचनों के मामले में शपथपत्र के माध्यम से, प्रतिकूल सूचना देता है तो ऐसे शपथपत्र का भी ऊपर निर्दिष्ट रीति से प्रदर्शित किया जायेगा; और

(vii) रिटर्निंग अधिकारी शपथपत्र में दी गयी जानकारी की शुद्धता का सत्यापन नहीं करेगा और नामनिर्देशन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं करेगा कि उसकी राय में दी गयी सूचना गलत है।

5. समस्त रिटर्निंग आफिसर यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग द्वारा इस आदेश में विहित किये गये शपथपत्र की प्रतियां अभ्यर्थियों को नामनिर्देशन पत्र के भाग के रूप में नामनिर्देशन पत्रों के प्रारूपों के साथ दी जायें।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह राजपुरोहित)
सचिव

क्रमांकः एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014–15/ 5937-40 दिनांक : 12/12/19

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (पंचायत) राजस्थान का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) को मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी सूचनार्थ प्रेषित है।
3. स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को संबंधित को ई–मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।

12.12.2019
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

उपाबंध I-A

(शपथ पत्र)

जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ–पत्र।

1. नाम जिला परिषद/पंचायत समिति* .....
2. जिला परिषद/पंचायत समिति* सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या .....

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... आयु ..... वर्ष, जो .....(डाक का पूरा पता लिखें) का की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:–

(1) (क) मैं ..... (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी हूँ।

या

(ख) मैं एक स्वतन्त्र अभ्यर्थी के रूप मे चुनाव लड़ रहा हूँ।

(2) मेरा नाम ग्राम पंचायत ..... के वार्ड संख्या .....की मतदाता सूची के क्रम सं. ..... पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे संपर्क दूरभाष

(क) निवास .....

(ख) मोबाइल नं. .....

(4) आय–कर विवरणी फाईल करने की स्थिति :

क्र.सं.	नाम	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।
1.	स्वयं	
2.	पति या पत्नी	
3.	आश्रित–1	
4.	आश्रित–2	
5.	आश्रित–3	

(5) मैं किसी लंबित मामले में पांच वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का अभियुक्त हूँ, जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये गये है/नहीं हूँ

(यदि अभिसाक्षी के विरूद्ध ऐसा कोई आपराधिक मामला (मामले) लंबित है तो वह निम्न सूचना भरेगा।)

मेरे विरूद्ध पांच वर्ष या अधिक अवधि के कारावास के दण्डनीय निम्न मामले लंबित है जिनमें न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये गये हैं।

(क)	संबंधित पुलिस थाना/ जिला/राज्य के विवरण सहित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. (FIR No.)	
(ख)	संबंधित अधिनियम की धारा और जिस अपराध आरोप लगाया गया है का संक्षिप्त विवरण	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला सं. (Case No.) और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख (Date of Order taking cognizance)	
(घ)	न्यायालय जिसके द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं।	
(ङ)	आरोप विरचित किये जाने की तारीख	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाहियां सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई हैं।	

(6) मुझे आपराधिक मामले में दोषसिद्ध किया गया है/नहीं किया गया है।

यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार दोषिसिद्ध किया गया है तो वह निम्न सूचना देगा।

मुझे नीचे वर्णित मामलों में दोषसिद्व किया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया गया हैं।

(क)	मामले का विवरण, संबंधित अधिनियम की धारा और अपराध का विवरण जिसके लिए दोष सिद्ध किया गया हैं।	
(ख)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और आदेश की तारीख/माह/वर्ष	
(ग)	अधिरोपित दण्ड	
(घ)	क्या दोषसिद्धी के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाईल की गई है। यदि हाँ तो अपील का विवरण एवं वर्तमान स्थिति	

टिप्पणः

1. ब्यौरे स्पष्ट रूप से एवं सुपाठ्य अक्षरों में भरे जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद (item) के सामने विभिन्न कॉलमों के अधीन प्रत्येक मामले (case) के ब्यौरे पृथक रूप से दिये जाए।
3. ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिये जाने चाहिए, अर्थात नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त शीट जोडी जा सकती है।